दिनांक 05.05.2022 जिला उद्योग मित्र, विशेष एकीकृत औद्यौगिक प्रोत्साहन नीति–2008 (यथा संशोधित –2011) तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 (यथा संशोधित 2016, 2018, 2019 तथा 2020) के अन्तर्गत गठित उपसमिति एवं एकल खिड़की सुगमता अनुज्ञापन अधिनियम–2015 के अन्तर्गत प्राधिकृत समिति की ऑनलाईन बैठक का कार्यवृत्त –

उपस्थिति–

1 डा0 विजय कुमार जोगदण्डे, जिलाधिकारी, गढ़वाल।
2 श्रीमती ईला गिरी, अपर जिलाधिकारी, गढ़वाल।
3 श्री मृत्युंजय सिंह, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार।
4 श्री अनिल कटारिया, अग्रणी बैंक प्रबन्धक, पौड़ी गढ़वाल।
5 श्री संजीव कुमार राय, पी0डी0,डी0आर0डी0ए0, पौड़ी।
6 श्री धीरेन्द्र सिंह, ई0ई0, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा।
7 श्री मोहित डबराल, ई0ई0 विद्युत वितरण खण्ड कोटद्वार।
8 श्री धनन्जय सिंह लिंगवाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
9 श्री सुरेश चन्द्र, अग्निशमन अधिकारी, कोटद्वार।
10 श्री शिव सिंह मेहरा, परियोजना अधिकारी, उरेडा, पौड़ी गढ़वाल।
11 श्री अर्जुन सिंह राणा, उपायुक्त, राज्य कर विभाग, कोटद्वार।
12 श्री एस0डी0मासीवाल, जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
13 श्री प्रकाश चन्द्र खत्री, जिला पर्यटन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
14 श्री राकेश सिंह कण्डारी, प्रतिनिधि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
15 श्री प्रकाश चन्द्र, सहायक विकास अधिकारी, उद्यान विभाग पौड़ी।
16 श्री प्रदीप पंत, तकनीकी सहायक, कृषि विभाग पौड़ी।
17 श्री सुनील गुप्ता, अध्यक्ष सिडकुल इण्डस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एशोसिएशन, ग्रोथ सेन्टर, सिगड्डी कोटद्वार।
18 श्री क्षितिज मटूरा, सहायक अभियन्ता, सिडकुल, कोटद्वार।
19 श्री चिराग अग्रवाल, प्रतिनिधि, वाप्कोस लि0 कौलागढ़ रोड, देहरादून।

कार्यवृत्त –

बिन्दु संख्या 1– गत बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही की पुष्टि –उद्योग मित्र की गत बैठक दिनांक 15.03.2022 में समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर सम्बन्धित विभागों द्वारा कृत कार्यवाही की समिति द्वारा निम्नवत पुष्टि की गयी–

बिन्दु संख्या 1(a) जिलाधिकारी महोदय द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सिगड्डी की जगह–जगह टूटी बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, जिस पर महाप्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल कार्यालय के पत्र संख्या 1339, दिनांक 28.04.2022 के द्वारा कार्यदायी संस्था वाप्कोस लि0 को औद्योगिक क्षेत्र के टूटी हुई बॉउण्ड्री की मरम्मत शीघ्र करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। इसके साथ ही सिडकुल कार्यालय पत्र संख्या 1338, दिनांक 28.04.2022 के द्वारा महाप्रबन्धक, सिडकुल, देहरादून को संशोधित आंगणन प्रेषित करते हुए जंगल की ओर बॉउण्ड्री निर्माण कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित वाप्कोश लि0 के प्रतिनिधि श्री चिराग अग्रवाल को वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु कहा गया, जिस पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि एक सप्ताह के अन्दर उनके द्वारा मरम्मत कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त कार्य को यथाशीघ्र करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल कोटद्वार, वाप्कोस लि0, कौलागढ़ रोड, देहरादून)

1(b) जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल द्वारा पिछली बैठक में अग्निशमन अधिकारी, कोटद्वार को औद्योगिक क्षेत्र कोटद्वार में स्थिति समस्त औद्यौगिक इकाईयों का निरीक्षण 15 दिन में करते हुए अग्नि सुरक्षा के मानक पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में अग्निशमन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रोथ सेन्टर सिगड्डी, की 57 में से 27, जशोधरपुर की 23 मे से 07 तथा बलभद्रपुर की 23 मे से 02 इकाइयों का निरीक्षण कर

एन0ओ0सी0 दी गयी है तथा शेष इकाईयों के मानक पूर्ण कराये जा रहे है तथा मानक पूर्ण कराये जाने के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अग्निशम अधिकारी, कोटद्वार को आगामी 15 दिन के अन्दर शेष समस्त इकाईयों का निरीक्षण करते हुए मानक पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–अग्निशम अधिकारी कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल)

1(c) विगत बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सिंगल विन्डो पोर्टल पर सेवा हेतु लम्बित आवेदन की समीक्षा हेतु डाटा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर से उक्त हेतु पत्र निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र संख्या 4255, दिनांक 26.03.2022 द्वारा प्रेषित किया गया है, परन्तु पोर्टल पर अशुद्व डाटा प्रदर्शित हो रहा है। डाटा में आवश्यक संशोधन हेतु उद्योग निदेशालय देहरादून को पुनः पत्र प्रेषित किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त डाटा को यथाशीघ्र सही कराने हेतु उद्योग निदेशालय से समन्वय करने हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार)

बिन्दु संख्या 2(a) –उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम (सिंगल विन्डो) व्यवस्था के अर्न्तगत स्वीकृत प्रस्तावों पर अनुमोदन – दिनांक 30.03.2022 से 30.04.2022 तक सिंगल विन्डो के अन्तर्गत उद्यम स्थापनार्थ प्राप्त कुल 13 प्रस्ताव में से 12 प्रस्ताव, जिसमें कुल प्रस्तावित पूँजी निवेश रू0 28.23 करोड़ तथा प्रस्तावित रोजगार 178 है, को प्राधिकृत समिति द्वारा दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा 01 प्रस्ताव, हाई टेंशन वायर के नीचे होटल स्थापना किये जाने वाले को अस्वीकृति के सम्बन्ध में जिला उद्योग मित्र समिति को अवगत कराते हुए उस पर अनुमोदन प्राप्त किया गया।

2(b)–वर्तमान तक स्वीकृत कैफ के सापेक्ष स्थापित उद्यमों का विवरण– विगत बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त उद्यमों के स्थापना का डाटा भी उद्योग मित्र में समिति के समक्ष रखने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार द्वारा निम्न विवरणानुसार डाटा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया–

सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त प्रोजेक्ट विवरण			स्थापित प्रोजेक्ट विवरण		
कुल प्रोजेक्ट संख्या	प्रस्तावित पूँजी निवेश करोड़ रू0 में	प्रस्तावित रोजगार संख्या	स्थापित प्रोजेक्ट संख्या	पूँजी निवेश करोड़ रू0 में	सृजित रोजगार संख्या
384	908.43	5399	176	293.12	1366

उक्त स्वीकृत प्रोजेक्ट में से 112 उद्यम वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सिडकुल इण्डस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एशोसिएशन, ग्रोथ सेन्टर, सिगड्डी कोटद्वार से अपेक्षा की गयी कि उद्यम स्थापना में यदि कोई समस्या आ रही है तो वे लिखित रूप में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, को पत्र के माध्यम से अवगत करा सकते हैं।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटद्वार)

बिन्दु संख्या 3 (a)– विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अन्तर्गत ससयम प्राप्त दावों की स्वीकृतियॉः– विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के अन्तर्गत प्राप्त ब्याज उपादान, विद्युत प्रतिपूर्ति तथा माल एवं सेवा कर. प्रतिपूर्ति के दावों को निम्न विवरणानुसार उद्योग मित्र समिति/उप समिति के सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया–

(i) ब्याज उपादान :–

क.सं.	इकाई का नाम	उपादान	अवधि	उपादान की धनराशि रू0 में
1	मै0 एच0 एण्ड एम0 हाईटेक प्रा0लि0, ए–2, सी–6, ग्रोथ सेन्टर सिगड्डी कोटद्वार	ब्याज उपादान	01.01.22 से 31.03.22	54603
2	मै0 होटल हैरीटेज, सदर बाजार लैन्सडॉन	ब्याज उपादान	01.01.22 से 31.03.22	6954
योग				**61,557**